प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.	जिला ए.सी.बी जोधपुर थाना ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर वर्ष 2022
	प्रइ.रिसं 182/22 दिनांक 13/05/2022
2.	(1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम—2018 धारा
	(2) अधिनियमधाराधारा
	(3) अधिनियम
	(4) अन्य अधिनियम व धाराये
3.	(अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या <u>275</u> समय <i>6 00 Pm</i>
	(ब) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 12.05.2022 समय 04.55 पी.एम.
	(स) थाना / चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12.05.2022 समय 12.35 पी.एम.
4.	सूचना किस्म :- टाईपशुदा लिखित
5.	घटनास्थल :-
(अ)	पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- पश्चिम दिशा लगभग 13 किमी
(ब)	पता :- कायलाना चौराहा, सुरसागर रोड़ जोघपुर
	जरायमदेही सं–वीट सख्या–जरायमदेही सं–
(स)	यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
	पुलिस थाना
6.	परिवादी / सूचनाकर्ता :
	(अ) नाम :- श्री दिलीप भाटी (ब) पिता का नाम : श्री जगदीश भाटी
	(स) जन्म तिथि : 31 वर्ष (द) राष्टीयता,:— भारतीय
	(य) पासपोर्ट सख्याजारी होने की तिथि
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय :- खेती–बाड़ी
	(ल) पता:— सोढ़ो की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर
7.	ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
	श्री विपेन्द्रसिंह सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाटव उम्र 30 वंर्ष निवासी सी 289 सरस्वती नगर घांचियों
	की गुफा के पास, पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता
	(डी—1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरसागर, जोधपुर
8.	शिकायत / इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
9.	(चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण), (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
	चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्यरिश्वत राशि ४०,००० रूपये
	TIVE 등등 번만대다 하여 보여진 - IVVIII 40.000 VOY4

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषय:-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी उम्र 31 साल जाति माली नि0 सोढ़ों की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर का रहने वाला हूँ। कालीबेरी, जोधपुर स्थित श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज मेरी पत्नी श्रीमती दीपिका भाटी के नाम से हैं जिसकी देखरेख में ही करता हूँ। उक्त फैक्ट्री में लाईट कनेक्शन मेरे दादा श्री रामलालजी भाटी के नाम से हो रखा है, जिसके के नम्बर 320241005001 है जिसका भुगतान आज दिनांक तक मेरे द्वारा किया हुआ है। मैंने नवम्बर 2021 को इस फर्म का बिजली कनेक्शन का लोड घटाने के लिए फाईल एईएन ऑफिस कबीर नगर लगवाई थी। दो तीन दिन पूर्व जेईएन विपिन्द्रसिंह मुझे नो मील फैक्ट्री एरिया पर मिला और मुझे कहा कि आप की फाईल सेन्सन हो गई जिसमें नवम्बर से लेकर आज तक 1.20,000 रूपये की छुट मिलेगी । उक्त छुट देने हेतु मेरे द्वारा फाईल सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम से लाने हेतु उनको कुछ खर्चा पानी एवं उक्त भुगतान की मेरे द्वारा फाईल सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम से लाने हेतु उनको कुछ खर्चा पानी एवं उक्त भुगतान की मेरे द्वारा कार्यवाही करने हेतु मुझे 60,000 रूपये दोगे तभी मैं उक्त पत्रावली को आगे बढ़ाउगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री विपिन्द सिंह जेईएन जोधपुर डिस्कॉम सुरसागर को रिश्वित राशि नहीं देना चाहता हूँ। मेरी विपिन्दसिंह सेकोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई पुराना लेनदेन बकाया नहीं हैं । मैं विपिन सिंह जेईएन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ, कानूनी कार्यवाही करावे।

भवदीय
एस.डी / —
दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी
उम्र 31 साल जाति माली
नि0सोढ़ो की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर
मो0न0 9784446600
दिनांक 12.05.2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 12.05.2022 समय 12:35 पी.एम.

उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटीउम्र 31 साल जाति माली निवासी सोढ़ों की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर ने मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर को एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मय अपने दादा श्री रामलाल के नाम बिजली बिल की फोटो प्रति व अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की।

मजीद दिरायाफत् पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने बताया कि "मैं दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी उम्र 31 साल जाति माली नि0 सोढ़ों की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर का रहने वाला हूँ। कालीबेरी, जोधपुर स्थित श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज मेरी पत्नी श्रीमती दीपिका भाटी के नाम से हैं जिसकी देखरेख में ही करता हूँ। उक्त फैक्ट्री में लाईट कनेक्शन मेरे दादा श्री रामलालजी भाटी के नाम से हो रखा है, जिसके के नम्बर 320241005001 है जिसका भुगतान आज दिनांक तक मेरे द्वारा किया हुआ है। मैंने नवम्बर 2021 को इस फर्म का बिजली कनेक्शन का लोड घटाने के लिए फाईल एईएन ऑफिस कबीर नगर लगवाई थी। दो तीन दिन पूर्व जेईएन विपिन्दिसंह मुझे नो मील फैक्ट्री एरिया पर मिला और मुझे कहा कि आप की फाईल सेन्सन हो गई जिसमें नवम्बर से लेकर आज तक 1.20,000 रूपये की छुट मिलेगी । उक्त छुट देने हेतु मेरे द्वारा फाईल सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम से लाने हेतु उनको कुछ खर्चा पानी एवं उक्त भुगतान की मेरे द्वारा कार्यवाही करने हेतु मुझे 60,000 रूपये दोगे तभी मैं उक्त पत्रावली को आगे बढ़ाउगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री विपिन्द सिंह जेईएन जोधपुर डिस्कॉम सुरसागर को रिश्वित राशि नहीं देना चाहता हूँ। मेरी विपिन्दिसंह सेकोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई पुराना लेनदेन बकाया नही हैं । मैं विपिन सिंह जेईएन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ, कानूनी कार्यवाही करावे।" टाईपशुदा रिपोर्ट व मजीद

दिरयाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री दिलीप भाटी से परिचय कराया गया। श्री दिलीप भाटी द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट व दस्तावेज श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही विधिवत करने हेतु निर्देश दिये।

दिनांक 12.05.2022 वक्त 12:45 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी को मन् पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव मय रिपोर्ट व दस्तावेज के अपने कार्यालय में लेकर आया। श्री दिलीप भाटी से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दिरयाफती की तो उसने टाईपशुदा रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री दिलीप भाटी से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नं. एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री दिलीप भाटी व श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को समझाया गया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 12:56 पी.एम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड डाला हुआ श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 को सुपर्द कर श्री भूरसिंह कानि. को हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी श्री दिलीप भाटी कार्योलय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादी श्री दिलीप भाटी के साथ जाकर परिवादी श्री दिलीप भाटी व संदिग्ध श्री विपेन्द्रसिंह जेईएन के मध्य रिश्वति राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत देकर परिवादी श्री दिलीप भाटी के साथ परिवादी की निजी कार से कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर की तरफ रवाना किया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 01:50 पी.एम. पर गोपनीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने परिवादी श्री दिलीप भाटी के साथ कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर गया हुआ भूरसिंह कानि. 23 व परिवादी श्री दिलीप भाटी उपस्थित कार्यालय आये व श्री भूरसिंह कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द अवगत कराया कि मैं व परिवादी श्री दिलीप भाटी, परिवादी की निजी वाहन से रवाना होकर कार्यालय किनष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर पास पहुंचे। जहां पर उक्त कार्यालय से थोड़ी देर पहले मैंने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी श्री दिलीप भाटी को मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर रवाना किया तथा मैं उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री दिलीप भाटी कार्यालय किनष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर से बाहर निकल कर मेरे पास आया। परिवादी ने पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी श्री दिलीप भाटी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से खाना होकर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेंड, चौपड़ सूरसागर, जोधपुर में गया जहां मुझे विपेन्द्रसिंह जेईएन कार्यालय में उपस्थित मिले। जिसने मेरे फैक्ट्री श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज फर्म के विद्युत का लोड घटाने के लिये फाईल जमा कराई थी जो कि नवम्बर 2021 से लम्बित है। यह फाईल अभी स्वीकृत की जा रही है। इसकी ऐवज में मेरे को लगभग 1,20,000/-रूपये की छुट मिल रही है। मेरे से यह 1,20,000 / - रूपये की छुट दिलवाने की ऐवज में 50,000 / - रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। मेरे द्वारा आग्रह करने पर 45,000 / -रूपये रिश्वत राशि एक साथ देने हेतु कहा जिस पर मेरे द्वारा पुनः आग्रह करने पर 40,000 / - रूपये रिश्वत राशि का देने का कहने पर उसने 40000 / - रूपये एक साथ लेने की सहमित दी। तथा आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह जेईएन ने यह रिश्वत राशि अभी देने के लिये कहा तो मैने आज नहीं मैं कल दे दुंगा। तो आरोपी ने कहा कि आज ही दे दो। तब मैने कहा मुझे आधे पूण घण्टे का समय दो। फिर हम वहां से रवाना होकर कार्यालय आये है। परिवादी श्री दिलीप भाटी से पूछने पर श्री दिलीप भाटी ने श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 के उपरोक्त कथनों की ताईद परिवादी द्वारा की गई। जिस पर डिजीटल वॉयस ट्रेप रिकार्डर को ऑन कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त कथनो की ताईद हुई एवम आरेपी

द्वारा परिवादी से 40000 / - रूपये रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा गया। आईन्दा रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सिकेफ्ट तैयार की जाना तय किया। परिवादी श्री दिलीप भाटी को रिश्वत राशि 40000/-रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को कार्यवाही हेतु ब्यूरो स्टाफ मय सरकारी वाहन कार्यालय हाजा में भिजवाने बाबत निवेदन किया गया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 02.00 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता रहेगी। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु एक पत्र श्रीमान उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग जोधपुर के नाम मुर्तिब कर श्री प्रभुराम हैड कानि. नं. 55 को रवाना किया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 02.10 पी. एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 मय सरकारी वाहन नं. आर जे 14 युसी 8906 के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.15 पी.एम. पर श्री प्रभुराम हैंड कानि. नं. 55 दो स्वतन्त्र. गवाहान कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग जोधपुर से लेकर हाजिर आया। जिनका बारी-बारी परिचय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुछा तो (1.) श्री जितेन्द्र जाखड़ पुत्र श्री केशाराम जाखड़ जाति जाट उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 512 जैनियों का बास गांव बिसलपुर, पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर हाल किनष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त राज्य कर विभाग जोधपुर वृत-अ जोधपुर संभाग प्रथम मोबाईल 7792962096 (2.) श्री श्रवण पुत्र श्री लुम्बा राम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी हुडो की ढाणी गांव अकदड़ा, तहसील एवं पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त राज्य कर विभाग जोधपुर वृत-ब जोधपुर संभाग प्रथम मोबाईल 8559977911 होना बताया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.20 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली 40000/-रूपये की रिश्वत राशि लेकर आया हूँ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पहले से कार्यालय में मौजुद दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री जितेन्द्र जाखड़ व श्री श्रवण से परिवादी श्री दिलीप भाटी का परिचय कराया गया। दोनो गवाहान को श्री दिलीप भाटी द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने कार्यवाही में स्वतंन्त्र गवाहान बनने हेतु सहमित दी तथा परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ ही स्विच ऑप कर अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.22 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी उम्र 31 साल जाति माली नि0 सोढ़ो की ढ़ाणी कालीबेरी जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 20 नोट कुल 40,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री दिलीप भाटी द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटो के नम्बर निम्नानुसार है :—

	3	
1.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6AQ 830866
2.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4CK 287456
3.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1EK 925383
4.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5AV 195611
5.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1CK 334145
6.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2EK 560451
	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6KM 209388
8.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0LA 853282
9.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5BC 663628
10.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9EA 404673
11.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8KQ 136170
12.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8DM 895841

13.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3HH 211021
14.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5EM 117348
15.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4CA 238607
16.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9LC 369562
17.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1FD 595832
18.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2CN 493283
19.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8DQ 672008
20.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8MM 706651

उपरोक्त सभी नोटो पर श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री दिलीप भाटी की जामा तलाशी गवाह श्रवण से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 40,000/- रूपयें के नोट श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से ही श्री दिलीप भाटी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखवाये गये। इसके पश्चात् एक साफ काँच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बीनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त कीं हैं। हाजरिन को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोपथलीन पाउडर के महत्व एवं किया प्रतिकिया को भली भांति समझाया। इसके पश्चात् दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। कॉच की गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गयें। श्री गणेश राम वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री दिलीप भाटी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन जोधपुर डिस्कॉम सूरसागर जोधपुर द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा कहाँ छुपाता है, का भी ध्यान रखें। परिवादी श्री दिलीप भाटी को हिदायत दी गई कि श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल 9530292476 पर मिस कॉल/कॉल अथवा सिर पर हाथ फेर करगोपनीय ईशारा करें ताकि मन निरीक्षक पुलिस एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जायें। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहाँ तक सम्भव हो अपनी—अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें।

इसके पश्चात् परिवादी श्री दिलीप भाटी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास कुछ आकिस्मिक खर्च के 2000 रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपित जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सिहत समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाउडर की शिशी देकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के अलमारी के डबल लॉक मे रखवाकर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत देकर कार्यालय में छोड़ा गया। फर्द पेशकशी मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट की गई। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.51 पी.एम. इस समय परिवादी श्री दिलीप भाटी के मोबाईल से आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह के मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया तथा उक्त वार्ता का कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया। परिवादी ने आरोपी को बताया कि वह सूरसागर रोड पर रूपये देने के लिए आ रहा हूँ।

जिस पर आरोपी ने बताया कि वह कुछ ही समय बाद सूरसागर रोड पर पहूँच जाउगा। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्शन आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.55 पी.एम. इस समय मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री प्रभुराम हैड कानि. नं. 55, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री गणेश कुमार कानि0 219, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक नं. 535 एसीबी जोधपुर, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री श्रवण, श्री जितेन्द्र जाखड एवं परिवादी श्री दिलीप भाटी तथा ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय परिवादी के निजी वाहन आर जे 19 सी एफ 4590 एवं प्राईवेट वाहन से मय ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर से रवाना सुरसागर की तरफ होकर वक्त 4.24 पी. एम.पर रवाना होकर सूरसागर रोड पर पहुँचे जहाँ पर परिवादी दिलीप भाटी के मोबाईल पर आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह का कॅाल आने पर वाहन का रोड़ के किनारे खड़ा करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन करवाकर उक्त वार्ता रिकार्ड की गई। जिसमें परिवादी ने आरोपी को बताया कि मैं कायलाना चौराहा के पास किसी काम से आया हुआ हूँ। जिस पर आरोपी ने कहा कि मैं अभी जी.एस.एस. पर हूँ। तब परिवादी ने कहा कि मैं आपके घर के रास्ते कायलाना चौराहा पर खड़ा हूँ। जिस पर आरोपी ने परिवादी को कहा कि मैं 10 मिनट में कायलाना चौराहा पर पहुंच रहा हूं जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त हमरायान के मय वाहनों के कायलाना चौराहा को रवाना हुए। दिनांक 12.05.2022 वक्त 02.00 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता रहेगी। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु एक पत्र श्रीमान उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग जोधपुर के नाम मुर्तिब कर श्री प्रभुराम हैंड कानि. नं. 55 को रवाना किया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 02.10 पी.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 मय सरकारी वाहन नं. आर जे 14 युसी 8906 के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.15 पी.एम. पर श्री प्रभुराम हैड कानि. नं. 55 दो स्वतन्त्र. गवाहान कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग जोधपुर से लेकर हाजिर आया। जिनका बारी-बारी परिचय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुछा तो (1.) श्री जितेन्द्र जाखंड पुत्र श्री केशाराम जाखंड जाति जाट उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 512 जैनियों का बास गांव बिसलपुर, पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त राज्य कर विभाग जोधपुर वृत-अ जोधपुर संभाग प्रथम मोबाईल 7792962096 (2.) श्री श्रवण पुत्र श्री लुम्बा राम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी हुडो की ढाणी गांव अकदड़ा, तहसील एवं पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त राज्य कर विभाग जोधपुर वृत—ब जोधपुर संभाग प्रथम मोबाईल 8559977911 होना बताया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.20 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली 40000 / - रूपये की रिश्वत राशि लेकर आया हूँ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पहले से कार्यालय में मौजुद दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री जितेन्द्र जाखड़ व श्री श्रवण से परिवादी श्री दिलीप भाटी का परिचय कराया गया। दोनो गवाहान को श्री दिलीप भाटी द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने कार्यवाही में स्वतंन्त्र गवाहान बनने हेत् सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ ही स्विच ऑप कर अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.22 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने दोनों गवाहान के रू—ब—रू परिवादी श्री दिलीप भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी उम्र 31 साल जाति माली नि0 सोढ़ो की ढाणी कालीबेरी जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने भारतीय मुद्रा के 2000-2000 रूपये के 20 नोट कुल 40,000/-रूपये पेश किये इन सभी नोटो पर श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से फिनोफथलीन पाउँडर लगवाया गया। परिवादी श्री दिलीप भाटी की जामा तलाशी गवाह श्रवण से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त

40,000 / - रूपयें के नोट श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से ही श्री दिलीप भाटी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखवाये गये। इसके पश्चात् एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त कीं हैं। हाजरिन को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोपथलीन पाउडर के महत्व एवं किया प्रतिकिया को भली भांति समझाया। इसके पश्चात् दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। काँच की गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गयें। श्री गणेश राम वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री दिलीप भाटी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब में रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन जोधपुर डिस्कॉम सूरसागर जोधपुर द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहा रखता अथवा कहाँ छुपाता है, का भी ध्यान रखें। परिवादी श्री दिलीप भाटी को हिदायत दी गई कि श्री विपिन्द्रसिंह जे.ई.एन द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल 9530292476 पर मिस कॉल / कॉल अथवा सिर पर हाथ फेर करगोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जायें। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहाँ तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सूनने का प्रयास करें।

इसके पश्चात् परिवादी श्री दिलीप भाटी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास कुछ आकरिमक खर्च के 2000 रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाउडर की शिशी देकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के अलमारी के डबल लॉक में रखवाकर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत देकर कार्यालय में छोड़ा गया। फर्द पेशकशी मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट की गई। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.51 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी के मोबाईल न0 9784446600 से आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह के मोबाईल न0 9829832597 पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया तथा उक्त वार्ता का कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया । परिवादी ने आरोपी को बताया कि वह सूरसागर रोड पर रूपये देने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर आरोपी ने बताया कि वह कुछ ही समय बाद सूरसागर रोड पर पहुँच जाउगा। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्शन आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 03.55 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री प्रभुराम हैड कानि. नं. 55, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री गणेश कुमार कानि० २१९, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. ४३२ एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक नं. ५३५ एसीबी जोधपुर, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री श्रवण, श्री जितेन्द्र जाखड एवं परिवादी श्री दिलीप भाटी तथा ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय परिवादी के निजी वाहन आर जे 19 सी एफ 4590 एवं प्राईवेट वाहन से मय ब्यूरों का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर से रवाना सुरसागर की तरफ हुए। दिनांक 12.05.2022 वक्त 4.24 पी.एम. पर रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता व वाहनों के भ्रनिब्यूरो कार्यालय जोधपुर से खाना होकर सूरसागर रोड पर पहूँचे जहाँ पर परिवादी

दिलीप भाटी के मोबाईल न0 9784446600 पर आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह के मोबाईल न0 9829832597 का कॅाल आने पर वाहन का रोड़ के किनारे खड़ा करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन करवाकर उक्त वार्ता रिकार्ड की गई। जिसमें परिवादी ने आरोपी को बताया कि मैं कायलाना चौराहा के पास किसी काम से आया हुआ हूँ। जिस पर आरोपी ने कहा कि मैं अभी जी.एस. एस. पर हूँ। तब परिवादी ने कहा कि मैं आपके घर के रास्ते कायलाना चौराहा पर खड़ा हूँ। जिस पर आरोपी ने परिवादी को कहा कि मैं 10 मिनट में कायलाना चौराहा पर पहुंच रहा हूं जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त हमरायान के मय वाहनों के कायलाना चौराहा को खाना हुए। वक्त 4.26 पी.एम. पर खानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता व वाहनों के कायलाना चौराहा पहूँचे। जहां पर कायलाना चौराहा की बाई साईड में परिवादी के निजी वाहन निजी नं वाहन आर जे 19 सी एफ 4590 को खड़ा करवाकर परिवादी को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को बन्द व चालु करने की विधि समझाकर स्विच ऑफ शुदा कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आरोपी के वाहन को आता देखकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर का चालु करें व अपनी गाड़ी में ही बैठा रहे। सरकारी वाहन टवेरा व प्राईवेट वाहन को कायलाना चौराहा के पास साईड में खड़ा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता मय स्वतन्त्र गवाहान के कायालाना चौराहा के आस-पास परिवादी के गोपनीय ईशारे के ईन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 4.29 पी.एम. पर परिवादी के निजी वाहन नं वाहन आर जे 19 सी एफ 4590 के पास एक मैटेलिक ग्रे कलर की एक कार नं. आर जे 19 सीजे 2580 आकर खड़ी हुई। जिसमें से एक व्यक्ति उतर कर परिवादी के निजी वाहन के ड्राईवर के पास वाली आगे के सीट पर बैठ गया। दिनांक 12.05.2022 वक्त 4.31 पी.एम. पर वक्त 04.31 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी ने अपने मोबाईल फोन नं. 9950436600 से मन् निरीक्षक पुलिस मनीष वैष्णव के मोबाईल नं. 9530292476 पर मिस कॉल किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के रवाना हो परिवादी के निजी वाहन के पास पहुंचे। जहां परिवादी की निजी वाहन में आगे के ड्राईवर सीट पर परिवादी व आगे की ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा मिला। परिवादी को पूर्व जब्तशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर श्री भुरसिंह कानि. नं. 23 से स्वीच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने फर्द ट्रान्सिकप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षा की दृष्टि अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने अपने निजी वाहन में अपने पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यह श्री विपेन्द्रसिंह जे.ई.एन. है। जिन्होने अभी–अभी मेरी फर्म का बिजली कनेक्शन का लोड घटाने के लिए 1.20,000 रूपये की छुट दिलवाने की ऐवज में 40,000/-रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपने हाथो में लेकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पीछे की बाई जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वाराआरोपी को अपना व हमरायान का परिचय देकर आने के मन्तवय से अवगत कराकर आरोपी से परिचय पुछा तो उसने अपना परिचय श्री विपेन्द्रसिंह सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी सी 289 सरस्वती नगर घांचियों की गुफा के पास, पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (डी-1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरसागर, जोधपुर होना बताया। जिस पर कायलाना चौराहा पर आमजन के आवागमन एवं भीड़-भाड़ स्थान व कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पास ही स्थित पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर किमश्नरेट में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। व आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता से उसके निजी वाहन की चाबी प्राप्त की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता को परिवादी के निजी वाहन से नीचे उतार कर ब्यूरो जाब्ता से दोनो हाथ कलाई के उपर से पकड़वाये गये। परिवादी के निजी वाहन में आरोपी को पीछे की सीट पर यथा स्थिति में बैठाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी मय ब्यूरो जाब्ता मय परिवादी मय स्वतन्त्र गवाहान मय हमराह वाहनों एवं आरोपी के निजी वाहन को हमराह लेकर कायालाना चौराहा से रवाना होकर वक्त 04.40 पी.एम. पर पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर कमिश्नरेट पहुंचे। जहां पर पुलिस थाना सूरसागर कमिश्नरेट जोधपुर के बाहर सरकारी वाहन तथा परिवादी के दोनो वाहन एवं आरोपी का निजी वाहन को खड़ा करवाकर आरोपी के निजी वाहन को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लॉक करवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रखी तथा आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता हाथ कलाई के उपर से यथा स्थिति में पकड़े हुए को परिवादी की गाडी से नीचे उतार मय स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता मय परिवादी मय आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ

अभियन्ता हाथ कलाई के उपर से यथा स्थिति में पकड़े हुए के पुलिस थाना सूरसागर के अन्दर प्रवेश कर पुलिस थाना सूरसागर में उपस्थित श्री गौतम डोटासरा थानाधिकारी पुलिस थाना सूरसागर किमश्नरेट जोधपुर को मन् निरीक्षक पुलिस ने मन्तव्य से अवगत करवाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की अनुमित चाहने पर उनके द्वारा सूरसागर थाने के अनुसंधान कक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने की मौखिक अनुमति प्रदान की गई। जिस पर पुलिस थाना सूरसागर के अनुसंधान कक्ष में प्रवेश कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में सुरसागर थाने से पानी के केम्पर से पीने का साफ पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा-आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बीनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला झाईनुमा हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंग मटमैला झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर. एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग मटमैला झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों ने रंग मटमैला झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाषी गवाह श्री श्रवण से लिरवाई गयी तो उसके पहनी हुई जीन्स-पैण्ट बरंग हल्का ब्लू के पीछे की बायीं जेब में 2000-2000 रू. के नोटों की गड्डी पायी गई, जिसे गवाह श्री श्रवण से निकलवाये जाकर गिनवाये गये तो दो-दो हजार रूपये के कुल 20 नोट कुल 40,000/-रूपये होना पाया गया। दूसरे गवाह श्री जितेन्द्र जाखड़ को पूर्व तैयारषुदा फर्द पेषकषी एवं सुपर्दगी नोट की प्रति सुपूर्द कर उक्त राषि के नोटो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटो के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। भारतीय मुद्रा 40,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र जाखड़ से लिखायी गयी तो आरोपी के पहने हुए जिन्स पेन्ट की दायी जेब में एक ओपो कम्पनी का मोबाईल फोन जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नं. 9829832597 तथा दूसरी बीएसएनएल कम्पनी की सरकारी सिम जिसके नम्बर 9414058959 जिसके आईएमईआई नम्बर 864235048023359 व 864235048023342 पाया गया। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होने से कब्जा ब्यूरो लिया गया। दौराने कार्यवाही उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के आवास की तलाशी हेतु श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 को आरोपी के सरस्वति नगर स्थित आवास की तलाशी हेत् रवाना किया गया।

इसके पश्चात आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता से परिवादी के कार्य सम्बन्धी पत्रावली के बारे में पूछने पर आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता ने बताया कि परिवादी श्री दिलीप भाटी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एक्जीक्युटीव इंजिनियर (एक्स.ई.एन.) श्री भुपेन्द्र बोहरा के कार्यालय में है। जिस पर मन् निरीक्षक ने आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता से एक्जीक्युटीव इंजिनियर (एक्स.ई.एन.) श्री भुपेन्द्र बोहरा के मोबाईल नम्बर पुछने पर उसने मोबाईल नं. 7014241093 बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा एक्जीक्युटीव इंजिनियर (एक्स.ई.एन.) श्री भुपेन्द्र बोहरा के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी श्री दिलीप भाटी की फर्म श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज के विद्युत लोड घटाने सम्बन्धी पत्रावली को पुलिस थाना सूरसागर पर भिजवाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स—पैण्ट के पीछे की बांयी जेब (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) का धोवन लेने के लिए इनके पहनने हेतु एक लोअर की व्यवस्था कर इन्हें पहनने हेतु देकर इनके वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट को उत्तरवाकर अवलोकन किया गया तो बरंग हल्का ब्लू जिस पर अंग्रेजी मे custom jeans लेबल लगा हुआ पाया गया,

जिसके पीछे की बांयी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारंभ कर एक साफ गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया, जिसे समस्त हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के वक्त वाका पहनी हुई जींस-पेंट की पीछे की बायीं जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल के गिलास में दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन पर मार्क पी.-1 एवं पी.-2 अंकित कर शिल्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात उक्त जींस-पेंट को कुछ देर तक कुलर की हवा में सुखाकर संबंधित जेब पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेंट को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर इस पर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को शिल्ड मोहर कर मार्क-पी अंकित कर आरोपी की जीन्स-पैण्ट को बतौर वजह सबूत एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री दिलीप भाटी की उपस्थिती में आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वत राशि लेने बारे में पूछने पर बताया कि परिवादी श्री दिलीप भाटी ने मेरे सहायक अभियन्ता ऑफिस में श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज फर्म के विद्युत का लोड घटाने के लिये फाईल जमा कराई थी। सहायक अभियन्ता द्वारा मौके की जांच हेतु मुझे निर्देशित किया। जिस पर मैंने श्री दिलीप भाटी द्वारा संचालित की जा रही फर्म श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज के मौके पर पहुंच कर विद्युत लोड के सम्बन्ध में जांच की। मौके पर पाया गये विद्युत लोड को मैंने पत्रावली में अंकित किया तथा मेरी रिपोर्ट सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करा दी। मेरी जांच के आधार पर श्री दिलीप भाटी द्वारा संचालित की जा रही फर्म को लगभग 1,20,000/-रूपये की राशि की छुट होना पाया गया। मैंने श्री दिलीप भाटी को लगभग 1,20,000 / - रूपये की छुट दिलाने के लिये 60,000 / - रूपये रिश्वत राशि की मांग की। श्री दिलीप भाटी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर मैं 40,000 / - रूपये रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ। मेरे द्वारा मांगे अनुसार 40,000 / -रूपये रिश्वत राशि आज मुझे श्री दिलीप भाटी ने दी। मैंने 40,000 / -रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर मेरे पहने हुई जिन्स पेन्ट के पीछे की बाई जेब में रखे थे, इतने में आप लोग आ गये व राशि बरामद की, गलती हो गई माफी चाहता हूँ। श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज फर्म के विद्युत लोड की पत्रावली अभी अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में स्वीकृति हेतु गई हुई है।

दौराने कार्यवाही श्री भुपेन्द्र बोहरा एकजीक्युटीव इंजिनियर (एक्स.ई.एन.) के कार्यालय से एक विशेष वाहक के साथ परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित मूल पत्रावली पुलिस थाना सूरसागर पर लाकर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश की। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें परिवादी के दादा श्री रामलाल भाटी पुत्र श्री धौकलराम भाटी हाईटेन्शन/भार कम करने से सम्बन्धित है। आईन्दा उक्त मूल पत्रावली की फोटो प्रतियां करवाकर विद्युत विभाग के अधिकारी से प्रमाणित करवाकर मूल पत्रावली वापिस लौटाई जायेगी। तत्पश्चात आरोपी मय ट्रेप बॉक्स की निगरानी श्री प्रभुराम हैडकानि. मय ब्यूरो स्टाफ को मामुर कर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, परिवादी श्री दिलीप भाटी के आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता की कार नं. आर जे 19 सीजे 2580 पुलिस थाना सूरसागर से बाहर खड़ी के पास पहुंच कर आरोपी के वाहन को अपने पास रखी चाबी से लॉक खुलवाकर कार नं. आर जे 19 सीजे 2580 चैक किया तो कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेज नहीं पाये गये। न ही कोई दस्तावेजात / वस्तु कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी के उक्त वाहन को यथास्थान रहने दिया जाकर वाहन को लॉक करवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखी। तत्पश्चात सुरसागर थाना में कार्यवाही स्थल पर मय हमरायान के उपस्थित आया व आरोपी मय ट्रेप बॉक्स को अपने जिम्में लिया जाकर ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मामुर की। आरोपी के वाहन को उसके कहेनुसार उनके परिजनों को आईन्दा लौटायाँ जायेगा। दिनांक 12.05.2022 वक्त 09.20 पी.एम. पर आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बड़े भाई गजेन्द्रसिंह को जुबानी दी गई। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान उसके पहने हुए शर्ट की जेब से स्वयं का आधार कार्ड, जोंधपुर वितरण निगम का परिचय पत्र मिला आरोपी के भाई श्री गजेन्द्रसिंह का आधार कार्ड, जोधपुर वितरण निगम का परिचय पत्र व आरोपी के वाहन न0 आर जे 19 सीजे 2580 की चाबी सुपुर्द की। दिनांक 12.05.2022 वक्त 9.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय गवाहन, आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता मय जब्त शुदा रिश्वति राशि, मय जब्तशुदा प्रादर्श, आरोपी के मोबाईल फोन, पेण्डिंग कार्य

की मूल पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप कार्यवाही पत्रावली सहित परिवादी को रात्रि अधिक होने के कारण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सूरसागर थाना से रूख्सत करते हुए दिनांक 13.05.2022 वक्त 10.00 ए. एम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो चौकी जोधपुर को रवाना हुए। दिनांक 12.05.2022 वक्त 10.19 पी.एम. पर रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता मय जब्त शुदा रिश्वति राशि, मय जब्तशुदा प्रादर्श, आरोपी के मोबाईल फोन, पेण्डिंग कार्य की मूल पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप कार्यवाही पत्रावली के सूरसागर थाने से रवाना होकर महात्मा गाँधी अस्पताल पहुँच कर आरोपी विपेन्द्रसिंह का काँविड-19 टेस्ट एवं आरोपी का सामान्य मेडिकल चैक करवाया। बाद आरोपी विपेन्द्रसिंह का कॉविड—19 टेस्ट एवं आरोपी का सामान्य मेडिकल चैक करवाकर मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल रंनिग नोट की गई तथा कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट आईन्दा प्राप्त की जावेगी। एम.जी.एच हॉस्पीटल से मन् निरीक्षक पुलिस मय हमारायान मय वाहनों के आरोपी को पुलिस उदयमंदिर थाना की हवालात में जमा करवाने हेतु रवाना पुलिस थाना उदयमन्दिर होकर वक्त 11.45 पी.एम. पर रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय गवाहन, आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्तामय जब्त शुदा रिश्वित राशि, मय जब्तशुदा प्रादर्श, आरोपी के मोबाईल फोन, पेण्डिंग कार्य की मूल पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप कार्यवाही पत्रावली के महात्मा गाँधी अस्पताल से रवाना होकर उदयमंदिर थाना पहूँचे। जहाँ पर रात्रि राहदारी हेत् आरोपी विपेन्द्रसिंह को पुलिस थाना उदयमंदिर की हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल रंनिग नोट कर ब्यूरो चौकी खाना हुआ। वक्त 11.55 पी.एम. पर रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय गवाहन, जब्त शुदा रिश्वति राशि, मय जब्तशुदा प्रादर्श, आरोपी का मोबाईल फोन, पेण्डिंग कार्य की मूल पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप कार्यवाही पत्रावली के ब्यूरो चौकी जोधुपर आएं। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा प्रादर्श, आर एच-1, आर एच-2, एल एच-1, एल एच-2, पी-1, पी-2, व आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट का शील्डशुदा पैकेट मार्क-पी व कपड़े के दुकडे पर शील्डशुदा रिश्वत राशि 40,000 रूपये व आरोपी का एक मोबाईल फोन ओपो कम्पनी का मय सीम के खुली हालात में श्री प्रभूराम हेड कानि० को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गये। दिनांक 13.05.2022 वक्त 01.20 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र जाखड़ व श्री श्रवण एवं परिवादी श्री दिलीप भाटी कार्यालय हाजा उपस्थित आये। दिनांक 13.05.2022 वक्त 01.30 पी.एम. पर कल दिनांक 12.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान रात्रि समय हो जाने एवं घटना स्थल पर लाईट की समुचित व्यवस्था नहीं होने से घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया जा सका। जिस पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री दिलीप भाटी मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 मय आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा, मय चालक श्री प्रेमसिंह के वास्ते घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु रवाना हुए। दिनांक 13.05.2022 वक्त 01.45 पी.एम. पर रवानाशुदा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री दिलीप भाटी मय ब्यूरो जांब्ता श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 मय आवश्यक सामग्री मय प्राईवेट वाहन के कायलाना चौराहा घटना स्थल पर पहुंच परिवादी के श्री दिलीप भाटी की निशानदेही में रूबरू गवाहान के घटना स्थल का निरीक्षण कर मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 की हस्तलिपि में घटना स्थल का नक्शा मौका फर्द मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धिगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द का शामिल रनिंग नोट किया गया। बाद निरीक्षण नक्शा मौका मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री दिलीप भाटी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन के रवाना हुआ। दिनांक 13.05.2022 वक्त 02.00 पी.एम. पर रवानाशुदा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री दिलीप भाटी मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 मय आवश्यक सामग्री मय प्राईवेट वाहन के कायलाना चौराहा घटना स्थल से बाद नक्शा मौका कार्यवाही के उपस्थित ब्यूरो चौकी हुआ। दिनांक 13.05.2022 वक्त 02.05 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 12.05.2022 जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्किप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस

रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री दिलीप भाटी ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडी तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में एक सीडी को मूल मानकर उक्त सीडी एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील चस्पा कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाकी दो सीडीयों डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। मूल सीडी का शील्डशुदा पैकेट एवं खुली दोनों डब सीडी को कार्यालय हाँजा के मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में ही रहने दिया गया। दिनांक 13.05.2022 वक्त 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री दिलीप भाटी के मोबाईल न0 9784446600 से एवं आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह के मोबाईल न0 9829832597 पर दिनांक 12.05.2022 को मोबाईल फोन से हुई दो बार वार्ता एवं श्री दिलीप भाटी एवं आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य रिश्वति राशि लेन-देन रूबरू हुई वार्तालाप दिनांक 12.05.2022 जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थित में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता एक आवाज परिवादी श्री दिलीप भाटी ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह कनिष्ठ अभियन्ता की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडी तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में एक सीडी को मूल मानकर उक्त सीडी एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील चस्पा कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाकी दो सीडीयों डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। मूल सीडी का शील्डशुदा पैकेट एवं खुली दोनों डब सीडी को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दिनांक 13.05.2022 वक्त 03.40 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डाला गया मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 12.05.2022 परिवादी श्री दिलीप भाटी एवं आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह के मध्य वक्त मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत राशि से लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर हुई दो वार्ताएं एवं रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता रिकार्ड है का मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक प्लास्टिक की थैली डालकर उक्त प्लास्टिक की थैली को एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील चस्पा कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकेट कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दिनांक 13.05.2022 वक्त .4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीप भाटी व स्तवन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र जाखड़ व श्री श्रवण की अब ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री दिलीप भाटी द्वारा संचालित फैक्ट्री श्री ओम आयरन इण्डस्ट्रीज फर्म के विद्युत का लोड घटाने के लिये फाईल जमा कराई थी जो कि नवम्बर 2021 से लिम्बत है। यह फाईल अभी स्वीकृत की जा रही है। इसकी ऐवज में परिवादी को लगभग 1,20,000/—रूपये की छुट मिल रही है। परिवादी को लगभग 1,20,000/—रूपये की छुट दिलवाने की ऐवज में आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह किनष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी से 60,000/—रूपये की पूर्व में मांग करना तथा दिनांक 12.05.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 50,000/—रूपये रिश्वत राशि की आरोपी द्वारा मांग करना, परिवादी द्वारा आग्रह करने पर 45,000/—रूपये रिश्वत राशि एक साथ देने हेतु आरोपी द्वारा कहना, जिस पर परिवादी द्वारा पुनः रिश्वत राशि कम करने का आग्रह करने व 40,000/—रूपये रिश्वत राशि आरोपी को देने का कहने पर आरोपी द्वारा 40000/—रूपये रिश्वति राशि एक साथ लेने की सहमित देना। व दिनांक 12.05. 2022 को परिवादी श्री दिलीप भाटी से 40,000/—रूपये रिश्वति राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाने से आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी सी 289 सरस्वती नगर घांचियों की गुफा के पास, पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर हाल किनष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक

अभियन्ता (डी—1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरसागर, जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 अपराध है।

अतः श्री विपेन्द्रसिंह सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी सी 289 सरस्वती नगर घांचियों की गुफा के पास, पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (डी–1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरसागर, जोधपुर के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु 07

प्रतियों प्रेषित है।

भ *विष* (मनीष वैष्णव)

निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्वण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विपेन्द्रसिंह सिंह किनष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (डी-1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरसागर, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 182/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1611-15 दिनांक 13.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. अधीक्षण अभियंता, नगर वृत्त, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर।
- 4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।